

Crim-1  
FORM NO III


फर्द अहकाम  
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाइ टोंक

उनवान तहसीलदार बनाम सुखदेव

किरम मुकदमा : प्रा0पत्र 136

मुकदमा नम्बर 635/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.10.2025	<p>आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाइ की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने भूमि खाता संख्या 87, 62, 68, 364, 338 वाके ग्राम दहलोद पटवार हल्का दहलोद तहसील निवाइ की जमबान्दी संलग्न कर, अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामेश्वर करवाने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का दहलोद व भू.अ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप के बजाय रामेश्वर होना बताया जाकर, शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। तथा तहसीलदार निवाइ द्वारा भी प्रार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप के बजाय रामेश्वर शुद्ध किये जाने हेतु लिखा गया है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है।</p> <p>अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाइ / पटवार हल्का दहलोद एवं भू.अ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाइ को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामेश्वर शुद्ध कर पालना से अवगत करावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी निवाइ (टोंक)</p>	